26-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07-10-19 को पेश हो।

7-10-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित गत पेशी पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की गई। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय उ
पीठासीन अधिका
राजस्व वाद संख
1 गौतम
2 सन्दीप
3 ओकेश
4 रोहिताश
5 हरीश पु
1 देवीलाल
2 लीलूराम
3 सुभाष
4 शिमला
5 मैनका
6 कमलेश
7 माया
8 भावना
9 तहसील
1. श्री अ
2. श्री प्र
3. राज
वादी
इस न्यायाल
प्रतिवादीगण
खाता संख्या
नम्बर 106/
किला नबर
1 ता 10,
कमाण्ड व
संलग्न वाद

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 299/2019

1 गौतम } पुत्रगण श्री देवीलाल
2 सन्दीप कुमार }
3 लोकेश कुमार पुत्रगण श्री लीलूराम
4 रोहिताश उर्फ लीलाधर
5 हरीश पुत्र सुभाष

} जाति ब्राहम्ण, निवासीगण चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 देवीलाल
2 लीलूराम उर्फ लीलाधर
3 सुभाष

} पुत्रगण श्री केसराराम जाति ब्राहम्ण निवासीगण चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

4 शिमला } पुत्रिया देवीलाल
5 मैनका }
6 कमलेश पुत्री लीलूराम

} जाति ब्राहम्ण निवासीगण चौहिलांवाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7 माया } पुत्रिया सुभाष
8 भावना }

} जाति ब्राहम्ण निवासीगण चौहिलांवाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री अजय कुमार बिश्नोई अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री प्रदीपसिंह थांदल अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 9

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 07.10.2019

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण के पिता प्रतिवादीगण सख्या 1 से 3 के नाम कृषि भूमि चक 29 एन.डी.आर. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 39/78 पत्थर नम्बर 106/353 (19) किला नम्बर 11, 12, 19 ता 22, पत्थर नम्बर 106/354 (22) किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, पत्थर नम्बर 107/354 (23) किला नबर 4 ता 7, 13 ता 18, 23/2 से 25/2 पत्थर नम्बर 107/355 (31) किला नम्बर 1 ता 10, पत्थर नम्बर 108/354 (24) किला नम्बर 11, 20, 21/2 कुल 10.020 हैक्टर कमाण्ड व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 से 8 का जन्म से हक व अधिकार है। वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की बहिस्सा बराबर की दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने उक्त कृषि भूमि का अच्छी मंदी के हिसाब से घरू बंटवारा किया हुआ है। मुताबिक घरू बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 1 से 3 को निम्नलिखित कृषि भूमि प्राप्त हुई है :–

लगातार 2

सहायक कलक्टर
अधिकारी

(क) वादीगण संख्या 1 व 2 को बंटवारा में बहिस्सा बराबर प्राप्त भूमि का विवरण :– चक 29 एन.डी.आर. के खाता संख्या 39/78 की कुल तादादी 10.020 हैक्टर में से 3.171 हैक्टर कमाण्ड व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन।

(ख) वादीगण संख्या 3 व 4 को बंटवारा में बहिस्सा बराबर प्राप्त भूमि का विवरण :– चक 29 एन.डी.आर. के खाता संख्या 39/78 की कुल तादादी 10.020 हैक्टर में से 3.171 हैक्टर कमाण्ड व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन।

(ग) वादी संख्या 5 को बंटवारा में प्राप्त भूमि का विवरण :– चक 29 एन.डी.आर. के खाता संख्या 39/78 की कुल तादादी 10.020 हैक्टर में से 3.171 हैक्टर कमाण्ड व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन।

(घ) प्रतिवादीगण सख्या 1 से 3 को बंटवारा में बहिस्सा बराबर प्राप्त भूमि का विवरण :– चक 29 एन.डी.आर. के खाता संख्या 39/78 की कुल तादादी 10.020 हैक्टर में से 0.506 हैक्टर कमाण्ड, चक 31 एन.डी.आर. के खाता संख्या 23/21 की कुल तादादी 7.223 हैक्टर, चक 31 एन.डी.आर. के खाता संख्या 54/52 की कुल तादादी 1.253 हैक्टर, चक 29 एन.डी.आर. का खाता संख्या 38/37 की कुल तादादी 4.313 हैक्टर।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वाद पत्र की धारा 3 में वर्णित अनुसार कृषि भूमि पर काबिज काश्त है व इसी अनुसार ही आबयाना व रकमराज अदा कर रहे है लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण के हक, हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण वादीगण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने व राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज करवाने के अधिकारी व दावेदार है।

वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण प्रतिवादिया संख्या 4 से 8 का भी उसमें हक व हिस्सा है लेकिन प्रतिवादिया संख्या 4 से 8 उक्त भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। प्रतिवादिया संख्या 4 से 8 ने अपने हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क किया हुआ है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे उपरोक्त कृषि भूमि की मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज करवा देवें लेकिन वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

प्रतिवादी संख्या 9 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी तहसील हनुमानगढ में स्थित है, इस कारण वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :–

(क) घोषणा फरमाई जावें कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णितानुसार कृषि भूमि में से वादीगण संख्या 1 व 2 को चक 29 एन.डी.आर. के खाता संख्या 39/78 की कुल

लगातार 3

...क्टर
...धिकारी

Scanned by CamScanner

तादादी 10.020 हैक्टर में से 3.171 हैक्टर कमाण्ड व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन बहिस्सा बराबर, वादीगण संख्या 3 व 4 को चक 29 एन.डी.आर. के खाता संख्या 39/78 की कुल तादादी 10.020 हैक्टर में से 3.171 हैक्टेयर कमाण्ड व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन बहिस्सा बराबर व वादी संख्या 5 को चक 29 एन.डी.आर. के खाता संख्या 39/78 की कुल तादादी 10.020 हैक्टर में से 3.171 हैक्टर कमाण्ड व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन के खातेदार काश्तकार है।

(ख) मुताबिक घोषणा वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन दर्ज किया जावें

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायोचित हो, वादीगण के पक्ष में जारी फरमाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 19.09.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के वाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त शीर्षक के वादपत्र में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पचायत व मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता प्रतिवादीगण सख्या 1 से 3 के नाम कृषि भूमि चक 29 एन.डी.आर. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 39/78 पत्थर नम्बर 106/353 (19) किला नम्बर 11, 12, 19 ता 22, पत्थर नम्बर 106/354 (22) किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, पत्थर नम्बर 107/354 (23) किला नम्बर 4 ता 7, 13 ता 18, 23रु2 से 25/2, पत्थर नम्बर 107/355 (31) किला नम्बर 1 ता 10, पत्थर नम्बर 108/354 (24) किला नम्बर 11, 20, 21/2 कुल 10.020 हैक्टर कमाण्ड व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 से 8 का जन्म से हक व अधिकार है। वादपत्र की धारा 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की बहिस्सा बरावर की दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने उक्त कृषि भूमि का अच्छी मंदी के हिसाब से घरू बंटवारा किया हुआ है। उक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण प्रतिवादिया संख्या 4 से 8 का भी उसमें हक व हिस्सा है लेकिन प्रतिवादिया संख्या 4 से 8 उक्त भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। प्रतिवादिया संख्या 4 से 8 ने अपने हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क किया हुआ है। मुताबिक पर बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को निम्नलिखित कृषि भूमि प्राप्त हुई है :–

(क) वादीगण संख्या 1 व 2 को बंटवारा में बहिस्सा बराबर प्राप्त भूमि का विवरण :– चक 29 एन.डी.आर. के खाता संख्या 39/78 की कुल तादादी 10.020 हैक्टर में से 3.171 हैक्टर कमाण्ड व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन।

(ख) वादीगण संख्या 3 व 4 को बंटवारा में बहिस्सा बराबर प्राप्त भूमि का विवरण :– चक 29 एन.डी.आर. के खाता संख्या 39/78 की कुल तादादी 10.020 हैक्टर में से 3.171 हैक्टर कमाण्ड व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन।

लगातार 4

Scanned by CamScanner

(ग) वादी संख्या 5 को बंटवारा में प्राप्त भूमि का विवरण :- चक 29 एन.डी.आर. के खाता संख्या 39/78 की कुल तादादी 10.020 हैक्टर में से 3.171 हैक्टर कमाण्ड व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन।

(घ) प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को बंटवारा में बहिस्सा बराबर प्राप्त भूमि का विवरण :- चक 29 एन.डी.आर. के खाता संख्या 39/78 की कुल तादादी 10.020 हैक्टर में से 0.506 हैक्टर कमाण्ड, चक 31 एन.डी.आर. के खाता संख्या 23/21 की कुल तादादी 7.223 हैक्टर, चक 31 एन.डी.आर. के खाता संख्या 54/52 की कुल तादादी 1.253 हैक्टर, चक 29 एन.डी.आर. का खाता संख्या 38/37 की कुल तादादी 4.313 हैक्टर।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादपत्र की धारा 3 में वर्णित अनुसार कृषि भूमि पर काबिज काश्त है व इसी अनुसार ही आबयाना व रकमराज अदा कर रहे है। इसी अनुसार वादीगण को खातेदारी घोषणा प्रदान किये जाने व राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज करने में हम मिकरान को कोई आपत्ति नहीं है व राजीनामा अनुसार वाद का निस्तारण कर डिक्री किया जावें।

अतः राजीनामा मिकरान ने अपनी स्वतंत्र इच्छा सहमति से अच्छी तरह पढकर समझा लिया है जिसे मिकरान स्वीकार करते है, राजीनामा लिख दिया है कि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।

प्रतिवादी संख्या 9 की और से राज पैराकार द्वारा जबाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वादी वाद पत्र डिक्री किया जाता है, तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से साक्ष्य वादी लिये जाकर बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौरानें बहस राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38-39-40-53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 5

Scanned by CamScanner

धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो. पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार होनें के कारण वादीगण 2 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के वाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि चक 29 एन.डी.आर. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 39/78 की कुल 10.020 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्टि **"देवीलाल, लीलूराम, सुभाष पिसरान केशराराम कौम ब्राहम्ण साकिन चौहिलावाली"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"वादी संख्या1 गौतम वादी संख्या 2 सन्दीप कुमार पुत्रान श्री देवीलाल को बहिस्सा बराबर 3.171 हैक्टर, वादी संख्या3 ओकेश कुमार वादी संख्या 4 रोहिताश पुत्रान लीलूराम उर्फ लीलाधर को बहिस्सा बराबर 3.171 हैक्टर, वादी संख्या 5 हरीश पुत्र सुभाष को 3.171 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल, प्रतिवादी संख्या 2 लीलूराम उर्फ लीलाधर तथा प्रतिवादी संख्या 3 सुभाष पुत्रान केसराराम को 0.506 हैक्टर"** भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 7.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 299/2019

1 गौतम } पुत्रगण श्री देवीलाल
2 सन्दीप कुमार }
3 ओकेश कुमार पुत्रगण श्री लीलूराम
4 रोहिताश उर्फ लीलाधर
5 हरीश पुत्र सुभाष
} जाति ब्राहम्ण, निवासीगण चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 देवीलाल
2 लीलूराम उर्फ लीलाधर
3 सुभाष
} पुत्रगण श्री केसराराम जाति ब्राहम्ण निवासीगण चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

4 शिमला } पुत्रिया देवीलाल
5 मैनका }
6 कमलेश पुत्री लीलूराम
} जाति ब्राहम्ण निवासीगण चौहिलांवाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7 माया } पुत्रिया सुभाष
8 भावना }
} जाति ब्राहम्ण निवासीगण चौहिलांवाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 07.10.2019

वादीगण की और से श्री अजय कुमार बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की और श्री प्रदीपसिंह थांदल अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 9 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 07.10.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि चक 29 एन.डी.आर. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 39/78 की कुल 10.020 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्टि **"देवीलाल, लीलूराम, सुभाष पिसरान केशराराम कौम ब्राहम्ण साकिन चौहिलावाली"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"वादी संख्या गौतम वादी संख्या 2 सन्दीप कुमार पुत्रान श्री देवीलाल को बहिस्सा बराबर 3.171 हैक्टर, वादी संख्या ओकेश कुमार वादी संख्या 4 रोहिताश पुत्रान लीलूराम उर्फ लीलाधर को बहिस्सा बराबर 3.171 हैक्टर, वादी संख्या 5 हरीश पुत्र सुभाष को 3.171 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल, प्रतिवादी संख्या 2 लीलूराम उर्फ लीलाधर तथा प्रतिवादी संख्या 3 सुभाष पुत्रान केसराराम को 0.506 हैक्टर"** भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 07.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.26 14:40:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: